1	राज गोस्वामी बनाम प्रेमलता आदि प्रकरण संख्या 06/2018 मु.दी.	
	02.03.2021 :— वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 9 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता इस आशय का पेश किया कि विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब टी.आई. में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र व वादपत्र से भिन्न एवं नये तथ्यों का अंकन किया है जिनका जवाब जवाबुल जवाब के माध्यम से दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जवाब टी.आई. में अंकित भिन्न एवं नये तथ्यों का जवाबुल जवाब हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार है। ऐसी स्थिति जवाब में वर्णित उक्त नवीन व मिथ्या तथ्यों का जवाबुल जवाब के माध्यम से जवाब दिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाबुल जवाब को रेकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस करना चाहा, जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जवाबुल जवाब को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। जबकि अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा तर्क दिया गया कि जवाब में किसी भी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र व वादपत्र से भिन्न एवं नये तथ्य अंकित नहीं किये हैं। प्रार्थी जवाबुल जवाब के माध्यम से नये व मिथ्या तथ्यों को रिकॉर्ड पर लिवाना चाहता है। जवाबुल जवाब विधि सम्मत नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उभयपक्षकारों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा एक वादपत्र वादग्रस्त मकान बंशीलाल द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 04.02.1955 को प्रार्थी के पिता लक्ष्मणपुरी व उनके पुत्र किशनपुरी, कैलाशपुरी व प्रार्थी स्वयं को विक्रय किये जाने एवं लक्ष्मणपुरी का स्वर्गवास हो जाने तथा किशनपुरी द्वारा जरिये पंजीकृत सम्मोचन पत्र से अपना समस्त स्वामित्व संबंधी हक अपने भाई कैलाशपुरी व प्रार्थी के हक में त्याग देने तथा सम्पूर्ण मकान में प्रार्थी एवं कैलाशपुरी का संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य होना बताते हुए विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु पेश किया है जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसका जवाब अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत करते हुए विशेष कथन में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के परिवार का सजरा वर्णित किया है तथा कई नये तथ्य अंकित करते हुए	

	वाद अवधि से परे होने एवं लक्ष्मणपुरी के सभी वारिसान को आवश्यक पक्षकार होना बताया है, जबकि प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र के माध्यम से कथन है कि अप्रार्थी द्वारा जवाबे में जो पारिवारिक सजरा व भिन्न नये तथ्य अंकित किये हैं उनके संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं है तथा प्रार्थी को जवाबुल जवाब के माध्यम से उक्त तथ्यों का जवाब देना न्यायहित में आवश्यक है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र में जवाबुल जवाब के जो तथ्य वर्णित किये हैं वे प्रकरण से सम्बद्ध हैं तथा विधि इस संबधं में स्पष्ट है कि प्रत्येक पक्ष को न्याय प्राप्ति हेतु किसी भी दावे या जवाब का प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार जवाबुल जवाब उपरोक्त समस्त परिस्थितियों व हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत किये गये अभिवचनों एवं सही न्याय निर्णय के तथ्य को देखते हुए रेकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 9 सि.प्र.सं. स्वीकार कर उसके द्वारा प्रस्तुत जवाबुल जवाब को रेकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थी की ओर से एक अन्य प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 एवं आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. इस आशय का पेश किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा जवाब टी.आई. व जवाबदावे में किशनपुरी द्वारा प्रार्थी एवं कैलाशपुरी के हक में अपना पंजीकृत हक त्याग किये जाने का कथन अस्वीकार किया है, ऐसे में किशनपुरी को अप्रार्थीगण की आपत्ति पर पक्षकार प्रतिप्रार्थी संख्या 6 बनाया जाना आवश्यक हो गया है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में वर्णित पारिवारिक सजरे के अनुसार लक्ष्मी उर्फ लहरीबाई का अभी स्वर्गवास होने से उनका हिस्सा पुनः किशनपुरी, प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एवं जमना के लड़के में जाने से जमना के एकमात्र पुत्र महेश भारती को अप्रार्थीगण की आपत्ति अनुसार पक्षकार प्रतिप्रार्थी संख्या 7 बनाना उचित है। इसी प्रकार उक्त पक्षकार बनाये जाने के उपरान्त अस्थाई निषेधाज्ञा के पैरा संख्या 10 में जो हिस्सा अंकित गया है उसे हटाकर हस्तगत प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 में वर्णितानुसार संशोधन किया जाना आवश्यक है। प्रकरण अभी प्रारम्भिक स्तर पर ही है, अतः प्रकरण के न्याय निर्णयन हेतु उक्तानुसार नये पक्षकार जोड़ने एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने का आदेश फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करना चाहा, जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया,	

जबकि अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने कथन किया कि इस प्रक्रम पर पक्षकार बनाये जाने एवं कोई भी संशोधन जवाब टी.आई. में किया जाना विधि के विपरीत है। उक्त संशोधन से अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र व वादपत्र की प्रकृति परिवर्तित हो जायेगी तथा संशोधन आवश्यक नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभयपक्ष के तर्कों पर विचार किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण अभी प्रारम्भिक स्टेज पर है अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाबे में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए भिन्न नये तथ्य एवं पारिवारिक सजरा वर्णित किया है और प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र में उक्त पारिवारिक सजरे के अनुसार प्रार्थी एवं कैलाशपुरी के हक में पंजीकृत हक त्याग करने वाले किशनपुरी को पक्षकार बनाने एवं लक्ष्मणपुरी का 1/4 हिस्सा उनके स्वर्गवास होने के उपरान्त उनकी पुत्री लक्ष्मी उर्फ लहरीबाई एवं जमना में निहित होने से उनका 1/4 में से 1/20 हिस्सा दोनों में निहित होने एवं लक्ष्मी उर्फ लहरीबाई का अभी स्वर्गवास होने से उनका हिस्सा पुनः किशनपुरी, प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एवं जमना के लड़के में जाने से जमना के एकमात्र पुत्र महेश भारती को भी पक्षकार बनाने का तथ्य अंकित किया है तथा अप्रार्थीगण द्वारा भी अपने जवाबदावे में उक्त दोनों को आवश्यक पक्षकार होना बताया है। ऐसी स्थिति में स्वयं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक सजरे एवं उक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार उक्त किशनपुरी को अप्रार्थी संख्या 6 एवं महेश भारती को अप्रार्थी संख्या 7 के रूप में पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित किया जाना उचित एवं आवश्यक प्रतीत होता है।

अब जहां तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में संशोधन की अनुमति का प्रश्न है, जैसा कि उपर विवेचित किया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा जवाब टी.आई. में किशनपुरी द्वारा प्रार्थी एवं कैलाशपुरी के हक में अपना पंजीकृत हक त्याग किये जाने के तथ्य को अस्वीकार करते हुए पारिवारिक सजरे का वर्णन जवाब में किया है और उसी अनुसार प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र में लक्ष्मणपुरी की पुत्री लक्ष्मी उर्फ लेहरीबाई के भी अभी स्वर्गवास हो जाने से उनका हिस्सा पुनः किशनपुरी, प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एवं जमना के लड़के में जाना अंकित करते हुए उसी अनुसार वादग्रस्त मकान में उनके निहित हिस्से का वर्णन किया है। ऐसी स्थिति में चूंकि प्रकरण अभी प्रारम्भिक स्टेज पर है तथा उक्त संशोधन से प्रकरण के न्याय निर्णयन में सुगमता एवं पारदर्शिता रहेगी, अतः उक्त संशोधन के संबंध में भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 में वर्णितानुसार ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

	अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में संशोधन की अनुमति प्रदान किया जाना उचित एवं आवश्यक प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अंतर्गत आदेश 01 नियम 10 एवं आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 सि.प्र.सं. स्वीकार किया जाकर इस प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णितानुसार किशनुपरी को अप्रार्थी संख्या 6 के रूप में एवं महेश भारती को अप्रार्थी संख्या 07 के रूप में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में बतौर पक्षकार प्रतिस्थापित किया जाता है तथा इस प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 में वर्णितानुसार अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 10 में संशोधन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थी आगामी पेशी तक आवश्यक रूप से संशोधित प्रार्थना पत्र टी.आई. प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते पेश होने संशोधित प्रार्थना पत्र टी.आई. 20.03.2021 को पेश हो।	